बीकानेर नगर निगम

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में सडको की सफाई /नालो/नालियों की सिल्ट निकालने व अन्य सफाई कार्य हेतु सफाई श्रमिक आपूर्ति कार्य के लिए निविदा सूचना संख्या 05 वित्तीय वर्ष 2014–15 की निविदा शर्ते

1. बीकानेर नगर निगम को शहर की सफाई व्यवस्था (नाला, नाली, सड़कों की सफाई व अन्य सफाई सम्बन्धित कार्य हेतु दिनांक 01.09.2014 से 31.03.2015 तक 7 माह के लिए आवश्यकतानुसार सफाई श्रमिक उपलब्ध करवाने होगें।

2. निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org एवं www.sppp.raj.nic.in पर भी देखा जा सकता हैं।

3. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदायें दो भाग में प्राप्त की जावेगी प्रथम भाग तकनीकी बिड एवं द्वितीयय भाग वितीय बिड लिफाफे पर दोनो बिड का नाम अंकित करना होगा तथा कार्य का नाम दिनांक भी अंकित करना होगा। प्रथम भाग में सफल होने पर द्वितीय भाग खोला जावेगा। प्रथम भाग में सफल नहीं होने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।

प्रथम भाग : तकनिकी बिड (बिड के साथ सलंग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स. 1 से 7 तक)

1. धरोहर (अमानता) राशि दो प्रतिशत नगद जमा रसीद/डी.डी/बैकंर्स चैक सलग्न करना होगा।
2. फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ–पत्र दस रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
3. फर्म का टीन नं का पंजीयन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा।
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक आपूर्ति पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की सत्यापित प्रति।
7. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण न होने पर कार्यादेश के पश्चात् प्रथम भुगतान से पूर्व भविष्यनिधि संगठन में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र पेश करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ–पत्र में संवेदक द्वारा यह दर्शाना होगा कि कार्यादेश प्राप्त होने पर यदि भविष्यनिधि संगठन द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संवेदक की अमानत राशि जब्त कर कार्यादेश निरस्त किये जा सकेंगें।

द्वितीय भाग :– वित्तिय बिड (बिड के साथ कोई भी पत्र सलंग्न नही किया जावेगा मात्र दर भरकर प्रस्तुत करना है।)

4. धरोहर (अमानता) राशि 2 प्रतिशत ही मान्य होगी। तथा कार्यादेश जारी होने पर फर्म को अनुमानित निविदा राशि की 5 प्रतिशत राशि सुरक्षित धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी, अन्यथा कार्यादेश निरस्त समझा जावेगा। सुरक्षित धरोहर राशि कार्य समाप्ति पश्चात् लौटाई जावेगी, सुरक्षित धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

5. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि कि मूल प्रति बीकानेर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। निम्नलिखित डिमांड/बैंकर चैक शुल्क ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक हैं।

क्र.सं.	विवरण	राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1	कार्य की अनुमानित लागत	3,00,00,000	चैक द्वारा	सफल निविदादाता द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत बिल के अनुसार
2	निविदा शुल्क	1000 /-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त बीकानेर नगर निगम
3	अमानत राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत 6,00,000	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	आयुक्त बीकानेर नगर निगम
4	ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	50 लाख से ऊपर 1000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

7. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90+30 = 120 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild)) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता हैं। तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षर कर्ता को रहेगा।

9. निविदाऐं बीकानेर नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में अलग-अलग प्रस्तुत करनी होगी । "प्रथम भाग" तकनीकी बीड एवं "द्वितीय भाग" वित्तीय बीड मानी जायेगी।

10. ईच्छुक संवेदकों से ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा।

11. सफल निविदादाता द्वारा बीकानेर नगर निगम की निर्धारित सफाई शिफ्ट प्रातः 6.00 से 11.00 एवं साय 3.00 से 6.00 दोनो शिफ्टो में निर्धारित संख्या में सफाई श्रमिको की आपूर्ति देनी होगी। संबधित जोन के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रतिदिन संवेदक द्वारा प्राप्त श्रमिको की संख्या का अंकन कर कार्य विवरण प्रस्तुत करना होगा । दोनो शिफ्टो के समय में यदि नगर निगम द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो संवेदक को निर्धारित समयानुसार सफाई श्रमिको की आपूर्ति देनी होगी।

12. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक (मय उपकरण) वयस्क होने आवश्यक होगें तथा 18 वर्ष से अधिक आयु एवं हस्ट-पुष्ट श्रमिक (मय उपकरण) ही उपलब्ध करवाने होगें । बीमार व कमजोर श्रमिक (मय उपकरण) स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

13. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक (मय उपकरण) की उपस्थिति संख्या व कार्य का प्रमाणीकरण जॉन क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा, साथ ही सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा कार्य संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। समस्त प्रमाणिकरण की औपचारिकताऐं पूर्ण होने पर भुगतान किया जावेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा भुगतान नगर निगम की सुविधानुसार किया जावेगा । भुगतान मे विलम्ब होने के कारण जनस्वास्थय से जुडा कार्य होने के कारण निविदाकार द्वारा कार्य बद नही किया जावेगा।

14. बाढ, आपदा, वी.आई.पी विजिट, धार्मिक आयोजन ,मेला, पर्व एवं अवकाश के दिवस भी निगम द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक श्रमिको की आपूर्ति के आदेश दिये जाने पर सफल निविदादाता को 24 घंटे में से किसी समय श्रमिक मय उपकरण उपलब्ध करवाने होंगे अन्यथा प्रतिदिन प्रतिश्रमिक 50/– रू की पेनेल्टी लगाई जावेगी।

15. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना होगा श्रमिक (मय उपकरण) के बीमा (इन्श्योरेन्स) एवं पी. एफ. जमा आदि करवाने की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी । श्रमिक (मय उपकरण) को वेतन चुकाने की जिम्मेवारी भी निविदादाता की होगी । निगम द्वारा मात्र स्वीकृत निविदा दर पर ही प्रमाणित कार्य का भुगतान किया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

16. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई श्रमिको का बीमा करवाना होगा तथा उपलब्ध कराये गये श्रमिको को चेक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा।

17. निविदादाता द्वारा उपलब्ध श्रमिक (मय उपकरण) के कार्य करते समय चोट लगना, या अन्य कोई दुर्घटना हो जाती है तो श्रमिक (मय उपकरण) का ईलाज व अन्य मुआवजा आदि चुकाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी । श्रमिक घायल अथवा मृत्यु होने पर मुआवजा/दावा राशि की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी ।

18. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित मात्रा मे श्रमिक (मय उपकरण) उपलब्ध करवाये जावेंगे तथा इन श्रमिको को संबधित स्वच्छता निरीक्षक के निर्देशानुसार कार्य करवाने हेतु प्रत्येक वार्ड/गैंग पर एक–एक सुपरवाईजर निर्धारित संख्या से अतिरिक्त तैनात करना होगा, सुपरवाईजर का अनुबंधित श्रमिको की संख्या में गिनती नहीं की जावेगी एवं न ही सुपरवाईजर को निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही दिया जावेगा यह जुम्मेवारी सवेदक की होगी। सुपरवाईजर प्रति वार्ड/गैंग कर्मचारियो पर नियुक्त नहीं करने के कारण प्रतिदिन प्रति वार्ड/गैंग रू 50/– की पेनेल्टी लगाई जावेगी।

19. निर्धारित संख्या से कम श्रमिक उपलब्ध करवाने पर प्रति श्रमिक प्रतिदिन रू 50/– की पेनेल्टी लगाई जावेगी। पेनेल्टी उसी माह के प्रस्तुत बिल में से काटी जावेगी।

20. सफल संवेदक को प्रत्येक वार्ड में कम से कम तीन रिक्शे कचरा उठाने हेतु उपलब्ध करवाने होंगे यदि संबधित स्व्च्छता निरीक्षक द्वारा तीन से अधिक रिक्शो की आपूर्ति चाहने पर स्व्च्छता निरीक्षक के निर्देशानुसार रिक्शो की आपूर्ति मय श्रमिक देनी होगी अन्यथा 50/– रू प्रति रिक्शा प्रतिदिन पेनेल्टी लगाई जावेगी। रिक्शो द्वारा कचरा स्व्च्छता निरीक्षक के बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा।

21. यदि सफल निविदादाता सफाई श्रमिक उपलब्ध करानें में असफल होता है तो निगम अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी एवं की गई व्यवस्था पर अधिक भुगतान की गई राशि रिस्क एण्ड कॉस्ट द्वारा निविदादाता के बकाया बिलों एवं सफल निविदा दाता की अन्य सम्पति से वसूल की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त निविदा दाता की धरोहर राशि भी जब्त की जावेगी ।

22. निविदादाता को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवायें गयें सफाई श्रमिक को मौके पर कार्य करते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा । निविदा दाता पर श्रम कानून के सभी नियम लागू होगे ।

23. निविदादाता को कार्य आदेश मिलने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निगम के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा । जिसमें निविदा शर्तो का उल्लेख होगा। अनुबंध–पत्र नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प

पेपर पर करना होगा । अनुबंध नहीं होने की दशा में ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा एवं जमा शुदा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।

24. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकाधिकार (Absolute Rights) निगम में निहित है । जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है ।

25. कार्य आदेश प्राप्ति होने के तीन दिवस में निविदादाता को सफाई श्रमिक उपलब्ध करवानें होगें ।

26. कार्य करते समय सफाई श्रमिक के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगी । समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा ।

27. कार्य दिवस सोमवार से शनिवार तक होगा एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित स्वीकृति से रविवार या अन्य अवकाश को भी कार्य करवाया जा सकेगा जिसकी स्वीकृत दरों पर नियमानुसार भुगतान देय होगा ।

28. संवेदक को बिल के साथ यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कार्यरत श्रमिकों का ईपीएफ जमा करवा दिया गया हैं, श्रमिकों का चैक द्वारा भुगतान किया जा चुका हैं एवं श्रमिकों का बीमा करवा दिया गया हैं का प्रमाण– पत्र प्रत्येक बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्र के अभाव में आगामी बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा संवेदक द्वारा प्रतिमाह किये गये कार्यो का बिल आगामी माह की 10 तारीख तकं आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें । बिल विलम्ब से प्रस्तुत करने पर संवेदक को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण अंकित करना होगा। बिल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच/प्रमाणीकरण की समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी, भुगतान नगर निगम अपनी सुविधा अनुसार करेगा । भुगतान चैक द्वारा किया जावेगा।

29. निर्धारित सफाई श्रमिक निगम द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य सर्किल में आवश्यकता पडने पर लिया जा सकेगा। निगम स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थय अधिकारी एवं उच्च अधिकारी के निर्देश मिलने पर सवेदक को किसी भी सर्किल में सफाई श्रमिकों की आपूर्ति देनी होगी।

30. संवेदक द्वारा निर्धारित संख्या में सफाई श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने/कार्य करने से मना करने पर निगम द्वारा संवेदक की रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करने के लिये स्वतंत्र होगा, अधिक भुगतान की वसूली संवेदक की जमा धरोहर राशि एवं बकाया बिलों में से जैसी भी स्थिति हो वसूल कर ली जावेगी ।

31. सफल निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो का पालन करना होगां। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी कर संवेदक को चुकाने होंगे।

32. निविदा की अवधि दिनांक 31.03.2015 तक के लिये मान्य होगी । ठोस कचरा प्रबनधन नियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा घर–घर कचरा संग्रहण कार्य हेतु ठेका होना विचाराधीन है। यदि राज्य सरकार द्वारा ठेका स्वीकृत किये जाने अथवा नगर निगम द्वारा नियमित सफाई कर्मचारियो की नवीन भर्ती करने पर संवेदक को 10 दिन का नोटिस दिया जाकर उक्त निविदा का अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होनें तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकेगी । इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

33. निविदा दाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

34. कांट–छांट की गई निविदा बिना लघु हस्ताक्षर के मान्य नहीं होगी तथा सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी

35. कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के महापौर/आयुक्तगण/लेखाधिकारी/ स्वास्थ्य अधिकारी/ मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/सर्किल निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।

36. निविदादाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी ।

37. निविदा एवं निविदा शर्तो के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा ।

आयुक्त (पूर्व) बीकानेर नगर निगम	**आयुक्त (पश्चिम) बीकानेर नगर निगम**	**मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम**	**स्वास्थय अधिकारी बीकानेर नगर निगम**

A. ***तकनीकी बीड (भाग अ) :- तकनीकी बीड के साथ निम्न दस्तावेज निविदा खोलने से पूर्व स्वास्थ्य शाखा में प्रस्तुत करने होगें :-***

1. धरोहर (अमानता) राशि दो प्रतिशत नगद जमा रसीद/डी.डी/बैकंर्स चैक सलग्न करना होगा।
2. फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का शपथ–पत्र दस रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
3. फर्म का टीन नं का पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक आपूर्ति पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की सत्यापित प्रति।
7. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण न होने पर कार्यादेष के पश्चात् प्रथम भुगतान से पूर्व भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र पेष करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में संवेदक द्वारा यह दर्षाना होगा कि कार्यादेष प्राप्त होने पर यदि भविष्यनिधि संगठन द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही करने पर संवेदक की अमानत राषि जब्त कर कार्यादेष निरस्त किये जा सकेंगे।

वित्तीय बीड (भाग ब) :- वित्तीय बीड निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 37 तक पढकर, सुनकर मनन करने के पश्चात् इन शर्तो पर सफाई श्रमिक (मय उपकरण) आपूर्ति देने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता